न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी,रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 कृति व्यास (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –21/2023

अनवान

श्रीमती लाड बाई पत्नि श्री प्रमोद, जाति ब्राहम्ण आयु बालिग निवासी बोराव तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़

– वादीगण

बनाम

1. भवानी सिंह पिता श्री हरिसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी नैराल्या ग्रा.पं. गोपालपुरा (बोराव) तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
2. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

– प्रतिवादी/विपक्षीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत अभिभाषक वादी
प्रतिवादी सं0 01 एकतरफा
02 पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 23.03.2026

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम उमरचा प0ह0 गोपालपुरा भू.अ.नि. बोराव तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की खाता संख्या 52 खसरा संख्या 377 रकबा 2.16है0, खसरा संख्या 450 रकबा 0.02है0 गे0मु0 आ0चा0, खसरा संख्या 452 रकबा 0.87है0, खसरा संख्या 453 रकबा 1.27है0 कुल किता 04 कुल रकबा 4.32है0 कुल लगानी 32.18 रूपये खाते में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 के दर्ज रिकार्ड है, जिसमें दोनो का ही 1/2–1/2 का हक व हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर ही दोनो अपने अपने हक व हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में बंटवारा नहीं होने के कारण किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा जमीन है, इसलिए आये दिन फसल बुवाई, कटाई को लेकर वाद विवाद होते रहते है, इस कारण राजस्व रिकार्ड में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य अपने अपने हिस्से अनुरूप अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी का बंटवारा किया जाना न्यायोचित है। दिनांक 17.04.2023 को वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 01 ने बंटवारा करने से मना कर दिया और कहां कि मेरे पास ज्यादा जमीन तो है, तुझे जो करना हो कर ले, ऐसा कहते हुए प्रतिवादी संख्या 01 भवानी सिंह लडाई झगडा करने पर उतारू हो गया, इसलिए यह वाद पत्र बंटवारा घोषणा का न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है। अंत में वादीया ने निवेदन किया है कि ग्राम उमरचा प0ह0 गोपालपुरा भू.अ.नि. बोराव तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की खाता संख्या 52 खसरा संख्या 377 रकबा 2.16है0, खसरा संख्या 450 रकबा 0.02है0 गे0मु0आ0चा0, खसरा संख्या 452 रकबा 0.87है0, खसरा संख्या 453 रकबा 1.27है0 कुल किता 04 कुल रकबा 4.32है0 कुल लगानी 32.18 रू खाते में वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 के दर्ज रिकार्ड है, जिसमे दोनो का ही 1/2–1/2 का हक व हिस्सा दर्ज रिकार्ड है का अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी जमीन का बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की घोषणाकर तदनुसार डिक्री जारी फरमायी जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। प्रतिवादी संख्या 02 पेरोकार सरकार द्वारा न्यायालय में उपस्थित हो जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम उमरचा प0ह0 गोपालपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की खाता संख्या 52 में भवानी सिंह पिता हरिसिंह राजपूत हिस्सा 1/2 निवासी नैराल्या व लाडबाई पत्नि प्रमोद हिस्सा 1/2 जाति ब्राहम्ण सा. बोराव, खसरा संख्या 377 रकबा 2.16है0

किस्म बारानी–2 लगान 8.64 रू, खसरा संख्या 450 रकबा 0.02है0 गे0मु0आ0चा0, खसरा संख्या 452 रकबा 0.87है0 किस्म चाही–3 लगान 9.57 रू, खसरा संख्या 453 रकबा 1.27है0 किस्म चाही–3 लगान 13.97 रू दर्ज रिकार्ड है। मौका स्थिति अनुसार खसरा संख्या 377 रकेबा 2.16है0 व खसरा संख्या 453 रकबा 1.27 है0 पर श्याम सिंह पिता मिठूसिंह काबिज काश्त है। खसरा संख्या 452 रकब 0.87है पर लाडबाई पत्नि प्रमोद शर्मा काबिज काश्त है। खसरा संख्या 450 कुआं का उपयोग दोनो पक्षो द्वारा किया जा रहा है। लाडबाई का हिस्सानुसार (खाता संख्या 52) मौके पर कब्जा नहीं है तथा अन्य खाता संख्या 51 खसरा संख्या 451 रकबा 1.11है0 पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। अन्य समस्त बिन्दु न्यायालय से संबंधित होने का निवेदन किया गया। पेरोकार सरकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति जाहिर नहीं कर वाद पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने तथा प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा वाद पत्र के खण्डन नही करने से वाद पत्र 16.10.2024 को स्वीकार किया जाकर वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य ग्राम उमरचा प0ह0 गोपालपुरा भू.अ.नि. बोराव तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की खाता संख्या 52 खसरा संख्या 377 रकबा 2.16है0, खसरा संख्या 450 रकबा 0. 02है0 गे0मु0आ0चा0, खसरा संख्या 452 रकबा 0.87है0, खसरा संख्या 453 रकबा 1.27है0 कुल किता 04 कुल रकबा 4.32है0 कुल लगानी 32.18 रू भूमि का वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 का उपरोक्त हक हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने का प्राथमिक डिक्री किया जाकर कमिश्नर तहसीलदार रावतभाटा से मौके के विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। कमिश्नर ने दिनांक 18.03.2026 को मौके के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये। प्राप्त प्रस्ताव पर उभयपक्ष की बहस सुनी प्राप्त प्रस्ताव से वकील वादी पक्ष द्वारा सहमति व्यक्त की गई हैं, प्राप्त प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री अनुरूप होने से वादीया का वाद पत्र हस्ब विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्राम उमरचा प0ह0 गोपालपुरा भू.अ.नि. बोराव तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की खाता संख्या 52 खसरा संख्या 377 रकबा 2.16है0, खसरा संख्या 450 रकबा 0.02है0 गे0मु0आ0चा0, खसरा संख्या 452 रकबा 0.87है0, खसरा संख्या 453 रकबा 1.27है0 कुल किता 04 कुल रकबा 4.32है0 कुल लगानी 32.18 रू भूमि में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन का अन्तिम डिक्री किया जाता हैः–

प्रस्तावित बंटवाडा अनुसार प्रविष्टियाँ				
क्र. सं.	खातेदारों के नाम व विवरण	आराजी संख्या	रकबा (है0)	लगान
1.	लाडबाई पत्नि प्रमोद ब्राहम्ण सा. बोराव खातेदार रहन राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बोराव	452 453	0.87 1.27	9.57 13.97
योग		किता–2	2.14	23.54
2.	भवानी सिंह पिता हरिसिंह राजपूत सा. नौराल्या खातेदार	377	2.16	8.64
योग		किता 01	2.16	8.64

आराजी संख्या 455 रकबा 0.01है0 किस्म आ0 चाह0 वादीया 1/2 एवं प्रतिवादी 1/2 राजस्व रिकार्ड अनुसार यथावत रहेगा।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार अमल दरामद किया जावे। निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को सुनाया गया। निर्णय अनुसार डिक्री जारी की जावे। नजरी नक्शा डिक्री का पार्ट रहेगा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा